संख्या- 146 /2018/ 3179 /30-3-18-6बी/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक 10 दिसम्बर, 2018

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 20-03-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1079स0सु0/2018-84स0सु0/2004, दिनॉक 27-09-2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 13-09-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1509.20 लाख के सापेक्ष सड़क सुरक्षा के विभिन्न कार्यो हेतु धनराशि रू० 963.94 लाख (रू० नौ करोड़ तिरसठ लाख चौरान्नवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	मद	मद से सम्बन्धित विवरण/कार्य	प्रस्तावित धनराशि	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	सड़क सुरक्षा नियमों का विभिन्न माध्यमां से प्रचार-प्रसार- (i) एफ0एम0 रेडियो	एफ0 एम0 रेडियो चैनल पर डी0ए0वी0पी0 दर के अनुसार एन0सी0 आर0 सहित 10 प्रमुख शहरों जहां एफ0एम0 सेवा संचालित है, में प्रसारण हेतु।	120.00 (03 माह हेतु)	120.00
	(ii) वायस मैसेज के माध्यम से	वायस मैसेज रू0 0.18 (18 पैसे) प्रति मैसेज की दर से 05 करोड़ उपभोक्ताओं को वायस मैसेज भेजने हेतु (05 करोड़ x 0.18 रू0 = रू0 90 लाख)	90.00 (05 करोड़ उपभोक्ता)	90.00
	(iii) टेलीविजन पर विज्ञापन के माध्यम से	टेलीविजन के स्थानीय न्यूज चैनल के ब्रॉड कास्टिंग की प्रत्येक चैनल की अलग-अलग डी0ए0वी0पी0 दरों को शामिल करते हुए	120.00 (02 माह)	120.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रमुख स्थानीय टी0वी0 चैनल पर प्रसारण हेतु।		
	(iv) प्रिंट मीडिया में रोड सेफ्टी सम्बन्धी प्रचार-प्रसार	प्रिंट मीडिया में तीन प्रमुख हिन्दी व दो अंग्रेजी समचार पत्रों में डी0ए0वी0पी0 दरों पर 25 सेमी0 x 16 सेमी0 के आकार का कलर्ड प्रकाश हेतु।	146.64 (08 बार हेतु)	146.64
	(v) स्कूल विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से।	सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का आयोजन एक स्तर पर होगा तथा कालेज/विश्व विद्यालय स्तर पर आयोजन दूसरे स्तर पर होगा। • यह प्रतियोगिता जिला, मण्डल एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी तथा प्रत्येक स्तर पर दोनों वर्ग के प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा।	125.00 (सम्पूर्ण प्रतियोगिता हेतु एक बारीय)	125.00
	(vi) जिला/मण्डल सड़क सुरक्षा समिति की बैठकां के आयोजन एवं अन्य सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के संचालन हेतु।	प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद हेतु 02 लाख x 75 लाख जनपद।	150.00 (03 माह हेतु)	150.00
	(vii) कुम्भ मेला एवं लखनऊ महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु एल0ई0डी0 स्क्रीन, स्टॉल एवं वर्कशाप का लगाया जाना।	कुम्भ मेला एवं लखनऊ महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु।	100.00 (एक बारीय कार्यक्रम के आयोजन हेतु।)	100.00
	(viii) कार्यलय व्यय, वाहनों का ईंधन/ रखरखाव/किराया आदि, स्टेशनरी तथा अन्य व्यय।	(i) कार्यालय व्यय। स्टेशनरी, कार्टिज, अनुरक्षण एवं साज-सज्जा तथा वाहनों के रख-रखाव व ईंधन हेतु।	112.30	112.30
			योग :	**963.94**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30-03-2018 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के राजस्व मद के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 146 /2018/ 3179 (1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।